Citizen Charter

नागरिक अधिकार – पत्र

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ।

website: www.ceouttarpradesh.nic.in.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
नागरिक अधिकार पत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 कार्यालय, प्रदेश में मतदाता सूचियों की तैयारी व पुनरीक्षण करने, मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने तथा लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्पन्न करवाने से सम्बन्धित कार्यों का संचालन, भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में रहकर करता है।

इस कार्यालय के अधीन जिला स्तर पर समस्त जिलों में जिला निर्वाचन कार्यालय स्थापित है जो जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के अन्तर्गत कार्य करते है, निर्वाचन का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी,उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संभालते है।

1 आपके अधिकारः

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाने का आपका अधिकार है यदि आप,

(i) भारत के नागरिक है,

(ii) उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने के पात्र है जिसमें आप सामान्यतः निवास करते है,

(iii) अर्हता की तिथि पर 18 वर्ष या अधिक के है (सामान्यतः हर वर्ष की पहली जनवरी को), और

(iv) इस हेतु अयोग्य घोषित नही किए गए है।

2 मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना तथा संशोधनः

कोई भी व्यक्ति, जो उपरोक्त शर्तो को पूरा करता है, परन्तु उसका नाम मतदाता सूची में नही है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर अपने आवेदन निम्नलिखित फार्मो में करें:–

फार्म 6: मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु।

फार्म 6**A**: अनिवासी भारतीयों के नाम सम्मिलित करवाने हेतु।

फार्म 7: मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति/नाम हटवाने हेतु।

फार्म 8: मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में दिए गए विवरणों में संशोधन हेतु।

फार्म 8(क): एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि को एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे में परिवर्तन करने हेतु।

फार्म–001 डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र हेतु।

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवाने/हटवाने एवं प्रविष्टि शुद्ध करवाने के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के संशोधन हेतु निर्धारित अवधि के दौरान अपना आवेदन निर्धारित प्राप्ति स्थल पर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त फार्म आप उक्त अवधि के अलावा किसी भी कार्य दिवस को जमा करवा सकते हैं, लेकिन निरन्तर अपडेशन (नवीनीकरण) प्रक्रिया के तहत आप द्वारा अपना दावा आदि दोहरी प्रति में सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ही देना होगा। फार्म आदि को भरने व अन्य प्रक्रिया की जानकारी हेतु सम्बन्धित फार्म के साथ मार्गनिर्देश भी संलग्न है।

नोटः उपरोक्त फार्मों की फोटो प्रतियां व हस्त–लिखित आवेदन यदि निर्धारित फार्म के अनुसार हों तो वे मान्य हैं। उपरोक्त फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट **www.eci.nic.in** से भी प्राप्त किये जा सकते है। यह फार्म निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट **www.ceouttarpradesh.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

चेतावनीः– इस संबंध में मिथ्या घोषणा करने वाला व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अंतर्गत एक वर्ष तक के कारावास तथा/अथवा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

3. आवेदनों का समयबद्ध निपटाराः

रजिस्ट्रेशन का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) स्तर पर तहसील कार्यालयों में होता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस विषय पर आवश्यक जांच पड़ताल व अपनी कार्यवाही सामान्यतः 21 दिन में पूर्ण करेगा व उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

4. अपीलः

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 व 23 के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, की जा सकती है।

5. मतदाता पहचान पत्रः

यदि आपका नाम आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो आप संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में फोटो खिंचवाकर या अपनी फोटो की प्रति देकर अपना फोटो पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है। मतदाता पहचान पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके गुम हो जाने की स्थिति में अथवा त्रुटियों में सुधार आदि के लिए प्रार्थना पत्र के जमा कराने के पश्चात् यथोचित जांच पड़ताल के बाद फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पहचान पत्र की शुद्धि भी निःशुल्क है, परन्तु यदि आपका पहचान पत्र गुम हो गया है या खराब हो गया है तो डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने पर 25/—रूपये शुल्क अदा करना होगा। आप फार्म 8 के साथ अपना फोटो भी दे सकते है इससे आपको फोटो खिंचवाने आने की भी आवश्यकता नही होगी। राज्य सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु पहचान के लिए वैध दस्तावेज घोषित किया है।

6. मतदाता सूचियों में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियों के जारी करने एवं निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों को देखने की अनुमतिः

(1) आवेदक को वर्तमान में लागू निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति चालान के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने के पश्चात् जारी की जाएगी।

(2) यदि आवेदक प्रमाण पत्र तुरन्त चाहता हो तो सामान्य शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।

(3) प्रत्येक पुनरीक्षण वर्ष की मतदाता सूची हिन्दी में सी0डी0 के रूप में भी जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहती हैं, जिसकी दर रूपये—100/— प्रति सी0डी0 प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है।

निर्वाचन कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त सेवाएं जनता के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक उपलब्ध होगी। शाम का समय आवेदक को प्रमाणित प्रति तथा फोटो पहचान पत्र देने के लिए निर्धारित है। प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने तथा मतदाता सूची को देखने को छोड़कर निर्वाचन सम्बन्धी शेष सेवाएं/जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है।

7. संसद एवं राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएंः

कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने योग्य होगा, यदि वह

(क) भारत का नागरिक है,

(ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है

(ग) राज्य सभा एवं विधान परिषद के लिये कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा एवं विधान सभा के लिये कम से कम 25 वर्ष की आयु का है।

(घ) वह संबंधित कानूनों के अन्तर्गत अन्यथा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

एक अभ्यर्थी को, जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया हैं, अपना नामांकन पत्र 10 प्रस्तावकों, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हो, के द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit) रूपये—25,000/— (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए रूपये—12,500/—) है। राज्यसभा, राज्य विधानसभा या परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मामले में यह राशियां क्रमशः रूपये—10,000/— तथा रूपये—5,000/— है।

8. आपके कर्त्तव्यः

भारतीय लोकतंत्र का आदर्श नागरिक बनने के लिए, मतदाता सूचियों को ठीक तथा अपडेट (नवीनीकरण) करने के लिए तथा त्रुटि रहित मतदाता पहचान पत्र की तैयारी हेतुः—

(i) यदि आप आवश्यक शर्ते पूरी करते हैं तो एक मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाएं, अपना मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं तथा मतदान में भाग लें; क्योंकि मतदान करना आपका मौलिक अधिकार है। अतः जब भी कभी आपके निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हों तो आप मतदान में भाग अवश्य लें।

(ii) अपना वोट बिना किसी दबाव, भय या प्रलोभन के डालें।

(iii) निम्नलिखित परिस्थितियों में आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र द्वारा अवश्य सूचित करेंः—

क. अपना निवास स्थान बदलने पर,

ख. अपने पड़ोस के परिवार/किराएदार के सदस्य जो मतदाता है, के किसी दूसरे स्थान पर रहने/चले जाने पर,

ग. मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति का नाम देखने पर,

घ- मतदाता सूची में किसी नाम की एक से अधिक बार प्रविष्टि देखने पर,

9. आपका सहयोगः

यदि आप निर्वाचन से संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारियों के काम से संतुष्ट न हों तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अगले उच्च अधिकारी/सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। इसी प्रकार त्रुटि रहित मतदाता पहचान पत्र बनाने के कार्य में विभाग को सहयोग देकर भागीदार बनें।

मुख्यालय पर अधिकारियों का विवरण			
		दूरभाष	वर्तमान अधिकारियों के नाम
	अधिकारी	कार्यालय	
1	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	0522–2611226	
2	अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी	9454449997	श्री रमाकान्त पाण्डेय
3	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	9454449993	श्री रमेश चन्द्र राय
4	विशेष कार्याधिकारी	9454418104	श्री अतीक अहमद सिद्दीकी
5	अनुभाग अधिकारी –1	9454418117	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
6	अनुभाग अधिकारी –2	9454418123	कुमारी तृप्ति मिश्रा
7	अनुभाग अधिकारी –3	9454418118	श्री राम नरेश
8	अनुभाग अधिकारी –4	9454418120	श्रीमती सुनीता सिंह